(A)

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

का०आ०सं०– स्था०3/नि०4–8/92 107 पटना, दिनांकः 13.03.18

कार्यालय आदेश

श्री राकेश प्रिय तत्कालीन अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीरपैंती, भागलपुर सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कहलगॉव, भागलपुर संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंबागाद के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 207110 दिनांक 05.11.2014 के साथ जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्र संख्या 84(प्र०) /सी० दिनांक 07.06.2014 के साथ संलग्न प्रपत्र 'क' के आधार पर निदेशालय के आदेश संख्या 52 सहपठित ज्ञापांक 353 दिनांक 24.03.2015 द्वारा इनपर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच, भागलपुर द्वारा पत्रांक 326/वि०जॉ० दिनांक 16.09.2015 द्वारा श्री राकेश प्रिय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है ।

समर्पित जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने आरोपी श्री राकेश प्रिय के स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरांत निम्नलिखित प्रतिवेदन दिया है :–

(i) प्रथम आरोप के संबंध में आरोपी पदाधिकारी की कारणपृच्छा स्वीकार्य प्रतीत नहीं होती है। उन्होने स्वयं स्वीकार किया है कि जुलाई 2013 ये 20 फ़रवरी 2014 तक कहलगॉव प्रखंड के अतिरिक्त प्रभार में थे। उनका यह कहना सही है कि क्षेत्रीय कर्मी की उपस्थिति नहीं बनती है, लेकिन समीक्षा हेतु प्रति सप्ताह प्रखंड कार्यालय में क्षेत्रीय कर्मियों की साप्ताहिक बैठक होती है, जिसमें प्रगति की समीक्षा की जाती है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि जिला पदाधिकारी, भागलपुर के 246(प्र०)/स्था०, दिनांक 29.06.2010 द्वारा श्री अरविन्द कुमार, जनसेवक का स्थानान्तरण सन्हौला प्रखंड से कहलगॉव प्रखंड किया गया । यदि उनके कहलगॉव प्रखंड आने के पूर्व से ही श्री अरविन्द कुमार कार्यालय नहीं आते थे तो उनका यह दायित्व बनता था कि कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते और स्थिति से अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी को अवगत कराते। उनका यह तर्क भी स्वीकार करने योग्य नहीं है कि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से श्री कुमार के बारे में जानकारी नहीं थी। पदस्थापन होते ही पदाधिकारी का यह दायित्व बनता है कि वे अपने कार्यालय या क्षेत्र में कार्य करनेवाले कर्मचारियों के बारे मे जानकारी प्राप्त करे एवं उनपर नियंत्रण रखें। ऐसी स्थिति में श्री अरविन्द कुमार के प्रखंड कार्यालय में योगदान नही करने अथवा उनके फरार रहने के संबंध में स्थिति से अवगत कराना आरोपी पदाधिकारी का दायित्व था, जिसमें वे असफल रहे हैं। यदि उनके द्वारा ससमय श्री कुमार के संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचना दी जाती तो श्री कुमार के विरूद्ध ससमय अनुशासनिक कार्रवाई की जाती और उन्हें प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पाता । उक्त परिप्रेक्ष्य में तथ्यो को छिपाकर श्री अरविन्द कुमार, जनसेवक को लाभ पहुँचाने के संबंध में गठित आरोप प्रमाणित होते हैं।

(ii) द्वितीय आरोप के संबंध में भी आरोपी पदाधिकारी की कारणपृच्छा स्वीकार्य प्रतीत नहीं होता है। उन्होनें स्वयं स्वीकार किया है कि वे जुलाई 2013 से 20 फरवरी 2014 तक कहलगॉव प्रखंड के अतिरिक्त प्रभार में थे। उक्त अवधि में न तो उनके द्वारा श्री अरविन्द कुमार के संबंध में कोई तहकीकात की गई और न उनकी अनुपस्थिति के संबंध में वरीय पदाधिकारी को ही अवगत कराया गया। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि श्री प्रिय से स्पष्टीकरण पूछने की जानकारी उन्हें थी और जानबूझकर उन्होंने स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया है। पूछे गए स्पष्टीकरण का जवाब न देकर उन्होंने बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(i)(ii) का उल्लंधन किया है । उक्त परिप्रेक्ष्य में उनके विरूद्ध उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, अनुशासहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के संबधं मे लगाये गये आरोप प्रमाणित होते हैं।

(iii) तृतीय आरोप के संबधं में भी आरोपी पदाधिकारी की कारणपृच्छा अस्वीकार्य प्रतीत होती है। दिनांक 25.11.2013 को जब अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगॉव द्वारा उनकी खोज की गयी तो अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगॉव को उनके द्वारा सूचित करना था कि वे संबंधित पंचायत में आपूर्त्ति संबंधी जॉच कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कारणपृच्छा में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया है। साथ ही उक्त संदर्भ में पूछे गए स्पष्टीकरण का जवाब श्री प्रिय द्वारा नहीं देने से भी इस बात की पुष्टि होती है कि वे उक्त तिथि को मुख्यालय में नहीं थे। उनका यह कहना भी सही नहीं है कि क्षेत्रीय कार्य करने की कोई तिथि निर्धारित नहीं होती है। कार्यालय प्रधान द्वारा अग्रिम दैनिक भ्रमण कार्यक्रम तैयार कर वरीय पदाधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजा जाना है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा साक्ष्य स्वरूप दिनांक 15.11.2013 को पीरपैंती प्रखंड भ्रमण संबंधी कोई अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से बाहर रहने एवं पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब न देकर श्री राकेश प्रिय द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रतिकूल आचरण किया गया है।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर उक्त आरोप प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। उपर वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री राकेश प्रिय पर लगाये गये तृतीय आरोप भी प्रमाणित होते हैं।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने का समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 में किये गये प्रावधान के तहत निदेशालय के पत्राक 1788 दिनांक 19.11.2015 द्वारा अभ्यावेदन की मॉग की गयी।

4. श्री राकेश प्रिय द्वारा अपना अभ्यावेदन समर्पित किया गया। समर्पित अभ्यावेदन में उनके द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित किया गया है :–

(i) श्री अरविन्द कुमार, जनसेवक के विरूद्ध निगरानी वाद वर्ष 2009–10 का है। इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन नहीं भेजने का आरोप उस समय के तत्कालीन पदाधिकारी से संबधित है।

(ii) जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 176 दिनांक 11.02.2014 का स्पष्टीकरण का जबाव नहीं देने संबंधी आरोप बिल्कुल निराधार, बेबुनियाद एव Mistake of facts है क्योंकि कहलगॉव प्रखंड का

प्रभार मैंने दिनांक 20.02.2014 को ही सौंप चुका था जबकि उक्त पत्र प्रखंड कार्यालय, कहलगॉव में 22.02.2014 को प्राप्त हुआ।

(iii) दिनांक 25.11.2013 को मुख्यालय से अनुपस्थित रहने का कारण उस दिन पीरपैंती में आपूर्त्ति संबंधी कार्य करना था क्योंकि मै प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, पीरपैती के भी प्रभार में था।

5. श्री प्रिय द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में वर्णित उक्त तथ्यों को उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को भी दिया गया था। इनके अभ्यावेदन से यह स्पष्ट होता है कि श्री प्रिय द्वारा अपने जिम्मेवारी का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया गया जिसके चलते आरोपी कर्मी को प्रोन्नति का लाभ मिल गया तथा उच्चाधिकारियों के स्पष्टीकरण का जबाव नहीं देकर आदेश की अवहेलना की गयी है। इनके द्वारा ऐसा कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि ये निर्दोष हैं। अतः श्री प्रिय द्वारा समर्पित अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

6. उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपो के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राकेश प्रिय पर संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

7. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राकेश प्रिय, तत्कालीन अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीरपैती, भागलपुर–सह–प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कहलगॉव, भागलपुर संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं ससूचित किया जाता है।

ह०/–

(पूनम)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०3/नि०4–8/92 631 पटना, दिनांक : 13.03.18

प्रतिलिपि :– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. विशेष संचिव, ग्रामीण विकास विभाग को उनके पत्रांक 207110 दिनांक 05.11.2014 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, भागलपुर/औरंगाबाद।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर/औरंगाबाद।
5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. श्री राकेश प्रिय, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/18

निदेशक